


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

कलमती वाई बनाम मनोहरलाल
केस नं. 77 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
07/03/24	वादीगण द्वारा जर्जे वकील दावा पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर्ड किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्जे सम्मन तलव कर फ्रावली दिनांक 21.8.24 को पेश हो।	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को सम्मन बाप तालीम प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दि. 30/10/24 को पेश हो।	
30/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, डी. में है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/24 को पेश हो।	
11/12/24	पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादी अनुपस्थित। अग्रि. वादी भी अनुपस्थित। अग्रि. प्राति. उपस्थित। तीन बार रक-रक कर आवाज लगाई गई। लेकिन कोई उपास्थित	



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियलस जत्र</p>	<p>संख्या अदालत हुकम सं में</p>
	<p>नही हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC अदम हाजरी अदम पेंदवी में खारीज किया जा रहा है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाह तामील दक्कनील दक्किल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पिडाया, जिला झालावाड़ (राज०) </p>	

